

101/MP/2014/RD

[प्रारूप 2 क.]

(नियम 4 देखिए)

## नाम निर्देशन पत्र

लोक सभा के लिए निर्वाचन

29.3.14

नीचे भाग 1 या भाग 2 इनमें से जो भी लागू न हो उसे काट दें।

भाग - I

मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल द्वारा खड़ा किए गये अभ्यर्थी द्वारा प्रयुक्त किया जाना है।

मैं..... संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से/लोक सभा के निर्वाचन के लिए एक अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्दिष्ट करता हूँ।

अभ्यर्थी का नाम..... पिता/माता/पति का नाम.....

इनका डाक पता.....

इनका नाम..... संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में समाविष्ट..... (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र) की निर्वाचक नामावली के भाग संख्या..... में क्रम संख्या..... पर प्रविष्ट है।

मेरा नाम..... है जो..... संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में समाविष्ट..... विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के भाग..... में क्रम संख्या..... पर प्रविष्ट है।

दिनांक..... प्रस्तावक के हस्ताक्षर

(मान्यता प्राप्त गतिविहीन दूर द्वारा महो खड़ा किए गये अभ्यर्थी द्वारा प्रयुक्त किए जाने के लिए)

दूरा - २०१९ - ०३ - ०८ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के निर्वाचन के लिए एक अभ्यर्थी के रूप में निर्दिष्ट करते हैं।

अभ्यर्थी का नाम - भृतीय - कुमार - बलपिता / मर्ति / पर्ति का नाम - २१९ - ०९०६

उसका डाक पता - उत्तराखण्ड - अल्मोड़ा निर्वाचन क्षेत्र - २०१९ - ०९०६ (मान्यता)

उसका नाम ३४ - ८०८०८०८ - अल्मोड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के २०१९ - ०९०६ (मान्यता)

(में समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र) की निर्वाचन नामावली के भाग सं ३ क्रम संख्या ३२० पर प्रविष्टि है।

हम घोषणा करते हैं कि हम उपरोक्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक हैं तथा हमारा नाम उक्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में प्रविष्ट है जैसे कि नीचे उपदर्शित है और हम इस नाम निर्देशन की सहमति के एवज में अपना हस्ताक्षर नीचे करते हैं।

प्रस्ताव करने वाले व्यक्तियों का विवरण तथा उनके हस्ताक्षर

क्रम सं	प्रस्तावक की निर्वाचक नामावली संख्या			पूरा नाम	हस्ताक्षर	तारीख
	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र खण्ड का नाम	निर्वाचक नामावली की भाग संख्या	उस भाग संख्या में क्रम संख्या			
1	२०० - लूनलूट बलपुर - नीलगढ़	२०२	१००६	भृतीय - कुमार	भृतीय - कुमार	२५/०३/१९
2	२०० - लूनलूट बलपुर - नीलगढ़	२०२	१००७	विजय - कुमार	विजय - कुमार	२५/०३/१९
3	२०० - लूनलूट बलपुर - नीलगढ़	२०२	१०१६	दीपेश - कुमार	दीपेश - कुमार	२५/०३/१९
4	२०० - लूनलूट बलपुर - नीलगढ़	२०२	१०१८	संजीव - कुमार	संजीव	२५/०३/१९
5	२०० - लूनलूट बलपुर - नीलगढ़	२०२	१०११	नारेन्द्र - कुमार	नारेन्द्र	२५/०३/१९
6	२०० - लूनलूट बलपुर - नीलगढ़	२०२	१०२६	तारकेश - कुमार	तारकेश	२५/०३/१९
7	२०० - लूनलूट बलपुर - नीलगढ़	२०२	१०२२	पृष्ठन्दु - कुमार	पृष्ठन्दु	२५/०३/१९
8	२०० - लूनलूट बलपुर - नीलगढ़	२०२	८१८	दीपेश - कुमार	दीपेश	२५/०३/१९
9	२०० - लूनलूट बलपुर - नीलगढ़	२०२	१०८६	विनेश - कुमार	विनेश	२५/०३/१९
10	२०० - लूनलूट बलपुर - नीलगढ़	२०२	१११७	लौलालाल - कुमार	लौलालाल	२५/०३/१९

टिप्पणी : प्रस्तावक के रूप में निर्वाचन क्षेत्र के १० (दस) निर्वाचक होने चाहिए।

### भाग - III

भाग II (जो लागू न हो उसे काट दे) में उल्लिखित अभ्यर्थी इस नाम निवेशन की अनुमति देता हैं तथा यह घोषणा करता हैं कि —

३४..... वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है।

उल्लिखित ख (i) या ख (ii) में से जो भी लागू न हो उसे काट दें।

(ख) (i) कि मैं इस निर्वाचन में “राजनीति” दल द्वारा खड़ा किया गया हूँ जो कि इस राज्य में एक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल/राज्य दल है और उपरोक्त दल के लिए आरक्षित प्रतीक मुझे आवंटित किया जाय।

—प्रतिशील मानव

(ii) कि मैं इस निर्वाचन में “राजनीति” दल द्वारा खड़ा किया गया हूँ जो एक पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है। मैं यह निर्वाचन एक निर्दलीय अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ (जो लागू न हो उसे काट दें) तथा मैंने अधिमान्य क्रम में

(i) आदि (ii) प्रतिशील (iii) इन्हें काटेंगा

प्रतीक चुना है।

(ग) कि मेरा नाम तथा मेरे पिता/माता/पति के नाम की उपर अंकित वर्तनी हिन्दी में (भाषा का नाम) सही है।

(घ) अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं लोक सभा का स्थान भरने के लिए चुने जाने हेतु अहिंत हूँ और निरहित भी नहीं हूँ।

—अतिरिक्त, नहीं

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं स्वच्छता विकास जाति/जनजाति का सदस्य हूँ जो

उस राज्य में के ..... (क्षेत्र) ..... से संबंधित अनुसूचित

जाति/जनजाति है।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि लोक सभा के वर्तमान में साथ में होने वाले “सामान्य निर्वाचन/उप-निर्वाचनों के लिए दो से अधिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों से नाम निर्दिष्ट नहीं हुआ हूँ या किया जाऊँगा।

पृष्ठ पंचाम प्रताप  
अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

दिनांक २१/०३/१५

★ जम्मू तथा कश्मीर, अंडमान तथा निकोबार द्वीप, चण्डीगढ़, दादर तथा नगर हवेली, दमन और दीव तथा लक्ष्मीप की दशा में समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र शब्दों को काट दीजिए

★ ★ यदि लागू न हो तो इस पैराग्राफ को काट दीजिए

★ ★ ★ यदि लागू न हो तो उन शब्दों को काट दीजिए

/ जम्मू तथा कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप, चण्डीगढ़, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव तथा लक्ष्मीप के मामले में लागू नहीं होगा

टिप्पणी : मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल से तात्पर्य संबंधित राज्य में निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण तथा आवंटन) आदेश 1968 के अधीन निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल।

(अभ्यर्थी द्वारा भरा जायगा)

क्या अभ्यर्थी –

- (i) को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध (आपराधों) में, या (ख) की उप धारा (2) में विनिर्दिष्ट विधि के उल्लंघन के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है; या } च/ नहीं
- (ii) उसे किसी अन्य अपराध (अपराधों) में दोषी पाया, जिसके लिए उसे दो वर्षों या उससे अधिक के कारावास से दंडित किया गया है। यदि उत्तर “हाँ” है तो अभ्यर्थी को निम्नलिखित सूचनाएं देनी होंगी।
- (i) भासला/प्रथम सूचना रिपोर्ट सं./सं. .... “२१-३”
- (ii) पुलिस स्टेशन ..... जिला (जिले) ..... “२१-३” राज्य ..... ३१-५
- (iii) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराये) तथा अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके लिए उसे सिद्ध दोष ठहराया गया था ..... “२१-३”
- (iv) दोष सिद्धि की तारीख (तारीखें) ..... “२१-३”
- (v) वह न्यायालय (न्यायालयों) जिसने अभ्यर्थी को सिद्ध दोष ठहराया था ..... “२१-५”
- (vi) अधिरोपित दण्ड कारावास (कारावासों) की कालावधि इंगित करें तथा/या जुर्माने की राशि उपदर्शित ..... “२१-५”
- (vii) कारावास से छूटने की तारीख (तारीखें) ..... “२१-३”
- (viii) क्या उक्त दोष सिद्धियों के विरुद्ध कोई अपील (अपीलों) पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई थी/थीं
- (ix) अपील (अपीलों) पुनर्विचार याचिका (याचिकाओं) का विवरण तथा तारीख
- (x) न्यायालय का नाम जिसके समक्ष अपील (अपीलों)/पुनर्विचार याचिका (याचिकाओं) के लिए आवेदन दाखिल किया गया ..... “२१-३”
- (xi) क्या उक्त अपील (अपीले)/पुनर्विचार याचिका (याचिकाएं) का निपटारा कर लिया गया है या वे/वह अभी लंबित हैं ..... “२१-३”
- (xii) यदि उक्त अपील (अपीलों)/पुनर्विचार याचिका (याचिकाओं) का निपटारा हो गया है तो  
 (क) निपटारे की तारीख (तारीखें) ..... “२१-३”  
 (ख) पारित आदेश (आदेशों) का प्रकार (की प्रकृति) ..... “२१-३”

दिनांक ..... २५।८।१।५  
स्थान ..... बैठक घर

प्रधाप त्रिमात्र उत्ताप  
अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

## भाग - IV

(रिटर्निंग अधिकारी द्वारा भरा जाए)

नाम निर्देशन पत्र की क्रम संख्या 10/HR/2014/F.0..... यह नाम निर्देशन पत्र मुझे मेरे कार्यालय में  
24.3.2014. (तारीख) को 12.42 (बृहस्पति बजे को अभ्यर्थी/प्रस्तावक द्वारा दिया गया।

दिनांक 24.3.14  
जो शब्द लागू न हो उसे काट दें।

रिटर्निंग ऑफिसर  
निवासी पदाधिकारी  
33 ब्रह्मा संसदीय निवाचन भवन

## भाग - V

नाम निर्देशन पत्र स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए रिटर्निंग अधिकारी का विनिश्चय  
मैंने, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 36 के अनुसार इस नाम निर्देशन पत्र को जाँच लिया है  
और मैं निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूँ : -

दिनांक ..... रिटर्निंग ऑफिसर  
(छिद्रण) .....

.....

.....

.....

(डाक का

पूरा पता लिखें) का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निवाचन से अभ्यर्थी हूँ सत्यानिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/कर्ती हूँ  
शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/कर्ती हूँ : -


(1) मैं भूगतिरीक मानने वालों (\*\*) (\*\* राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया  
गया अभ्यर्थी/\*\* एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ।

(\*\*) जो लागू न हो उसे काट दें)

(2) मेरा नाम 205 शंभुका रामानन्द (निवाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं३  
के क्रम सं२२० पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा संपर्क टेलीफोन नं9532597837 है/हैं और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो) .....  
है। मेरा सोशल मीडिया एकाउंट्स (यदि हैं तो) ..... .....

है।



**"प्ररूप 26"**

(नियम 4 के देखिए)



KAVINDRA SINGH  
NO. 45, BUXAR  
NO..... DATE..... TIME.....  
3698 26/3/14 10:30 AM

33 - बाहर संघटीय

निर्वाचन क्षेत्र से

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

लोकसभा (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र

भाग-क

मेरा नाम प्ररूप कुमार प्रेलाल \*\*पुत्र/पुत्री/पत्नी वर्षी विवाह आय 34 वर्ष, जो

ग्राम गोराईपुर, पोखर पिपरी

धाना - मेमुआ

जिला - बैहुर

(डाक का


पूरा पता लिखें) का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ सत्यानिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करगी हूँ शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करगी हूँ :-

(1) मेरा राजनीतिक समर्थन दल पार्टी (\*\* राजनीतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी/\*\* एक रवतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ।

(\*\* जो लागू न हो उसे काट दें)

(2) मेरा नाम 205 मेमुआ (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं 9  
के क्रम सं 220 पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा संपर्क फोन नं 9572597837 है, और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो) 255  
KAVINDRA SINGH@GMAIL.COM है। मेरा सोशल मीडिया एकाउंट्स (यदि हैं तो) 255  
255



(4) स्थाई लेखा संख्यांक (पैन) के बौरे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्रास्तिः

क्रम सं०	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रूपये में)
1	स्वयं	२४०८	२४०८	२४०८
2	पति या पत्नी	२४०८	२४०८	२४०८
3	आश्रित-१	२४०८	२४०८	२४०८
4	आश्रित-२	२४०८	२४०८	२४०८
5	आश्रित-३	२४०८	२४०८	२४०८

(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं। यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी :-

(i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण बौरे	२४०८
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है	२४०८
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	२४०८
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	२४०८
(ङ)	डॉ. जारीख (तिसीख) जिनको आरोप विरचित किए गए थे KAVINDRA SINGH BHAKAR	२४०८
(ज)	कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता मुख्य न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं	२४०८



(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा सज्जान लिया गया है  
 {पूर्वोक्त मद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न}:-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और सज्जान लेने के आदेश की तारीख	मुन्प
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे जहां न्यायालय ने सज्जान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सज्जान लिया गया है।	मुन्प
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों) / आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हों) के ब्यौरे	मुन्प

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न, के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है।

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा :

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है :

(क)	उन मामलों के ब्यौरे, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	मुन्प
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	मुन्प
(ग)	अधिरोपित दंड	मुन्प
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/ है। यदि हाँ तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रारिथिति	मुन्प

(7) मैंने निम्नलिखित या पत्ती और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के

देतावेश

Reg. No. A/No/2/14/72812

प्रतीक्षा



### अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पण 1— संयुक्त रखामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।


टिप्पण 2— जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं०, रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पण 3— सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिवेंचरों का मूल्य रट्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4— यहां आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 75 के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पण 5— रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाने हैं।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित -1	आश्रित -2	आश्रित -3
(i)	हाथ में नकदी	25000/-	5000/-	शू.प	शू.प	शू.प
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी है), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	हैट्टे केंडु आँड इंडिया म्युआर्क्स ३०३०६७ ३९५१४२ रु.प	अट्टा विहार ग्राम्य बैंक अपूर केंड्र ट्रान्सांड ७३८८१७००० २५४९ रु३८१४६५/- ००	शू.प	शू.प	शू.प
(iii)	कंपनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिवेंचरों/शेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के ब्यौरे और रकम	शू.प	शू.प	शू.प	शू.प	शू.प
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्हीं वित्तीय लिखितों में विनिधान और रकम	शू.प	शू.प	शू.प	शू.प	शू.प
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जैसे कर्म कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य आपूर्ति तथा रकम	शू.प	शू.प	शू.प	शू.प	शू.प




(vi)	मोटरयान/वायुयान/याट /पोत (मेक. रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	२१-८	२१-८	२२-८	२२-८	२२-८
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुए) (भार और मूल्य के ब्यौरे)	लोगा १/२मै कीमत ४५ इकाई	लोगा ३ मै कीमत ६० हजार चांदी-६ मैर कीमत ५५००१ मै	२१-९	२१-९	२१-९
(viii)	कोई अन्य आस्तियाँ जैसे कि दावों/हित का मूल्य	२१-८	२१-८	२१-८	२१-८	२१-८
(ix)	समग्र कुल मूल्य	७१,९००/- ६८८८८	२३०२८/-८० ८८८८८	२१-८	२१-८	२१-८

### आ. स्थावर आस्तियों के ब्यौरे


टिप्पण 1 - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 - प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम.सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित -1	आश्रित -2	आश्रित -3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ)	झोजा गोरखपुर	२१-८	२१-८	२१-८	२१-८
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	१५३८	२१-८	२१-८	२१-८	२१-८
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हाँ या नहीं)	३१	२१-८	२१-८	२१-८	२१-८
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	२१-८	२१-८	२१-८	२१-८	२१-८
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	२१-८	२१-८	२१-८	२१-८	२१-८
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	२१-८	२१-८	२१-८	२१-८	२१-८
(ii)	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	१६८०९ ६८८८	२१-८	२१-८	२१-८	२१-८
	गैर कृषि भूमि : अवस्थिति (अवस्थितिया) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ)	२१-८	२१-८	२१-८	२१-८	२१-८
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	२१-८	२१-८	२१-८	२१-८	२१-८
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हाँ या नहीं)	२१-८	२१-८	२१-८	२१-८	२१-८
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	२१-८	२१-८	२१-८	२१-८	२१-८
★ KAMALRAJ SINGH के समय भूमि की BUXAR लागत (क्रय की दशा में)	२१-८	२१-८	२१-८	२१-८	२१-८	२१-८
	Reg. No. KNG. 211796 G. PATNA					



(iii)	विकास, सनिमाण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	21-4	21-4	21-4	21-4	21-4
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	21-4	21-4	21-4	21-4	21-4
	वणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितिया) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	21-4	21-4	21-4	21-4	21-4
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	21-4	21-4	21-4	21-4	21-4
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	21-4	21-4	21-4	21-4	21-4
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हाँ या नहीं)	21-4	21-4	21-4	21-4	21-4
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	21-4	21-4	21-4	21-4	21-4
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	21-4	21-4	21-4	21-4	21-4
	विकास, सनिमाण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान	21-4	21-4	21-4	21-4	21-4
(iv)	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	21-4	21-4	21-4	21-4	21-4
	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितिया) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	21-4	21-4	21-4	21-4	21-4
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	21/2-4	21-4	21-4	21-4	21-4
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	21/2-4	21-4	21-4	21-4	21-4
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हाँ या नहीं)	21	21-4	21-4	21-4	21-4
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	21-4	21-4	21-4	21-4	21-4
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	21-4	21-4	21-4	21-4	21-4
	विकास, सनिमाण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई	21-4	21-4	21-4	21-4	21-4
	विनिधान					
★	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	35,000/-	21-4	21-4	21-4	21-4
	किसी संपत्ति में बुखारी (BUXTON)	21-4	21-4	21-4	21-4	21-4




Reg. No. A.M.O.L/2011/1201/A/

(vi)	पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य	18,50,000 18.50,000	२१.८	२१.८	२१.८	२१.८
------	---	------------------------	------	------	------	------

(8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूँ :-

(टिप्पण :— कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरों का पृथक् विवरण दें)

क्रम.सं.	विवरण	स्वयं	फति-वा पल्ली	आश्रित -1	आश्रित -2	आश्रित -3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं) को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	२१.८	२१.८	२१.८	२१.८	२१.८
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	२१.८	२१.८	२१.८	२१.८	२१.८
	कोई अन्य दायित्व दायित्वों का कुल योग	२१.८	२१.८	२१.८	२१.८	२१.८
(ii)	सरकारी शोध्य सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य	२१.८	२१.८	२१.८	२१.८	२१.८
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	२१.८	२१.८	२१.८	२१.८	२१.८
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	२१.८	२१.८	२१.८	२१.८	२१.८
	टेलीफोन/मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	२१.८	२१.८	२१.८	२१.८	२१.८
	सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य	२१.८	२१.८	२१.८	२१.८	२१.८
	आय-कर शोध्य	२१.८	२१.८	२१.८	२१.८	२१.८
	धनकर शोध्य	२१.८	२१.८	२१.८	२१.८	२१.८
	सेवाकर शोध्य	२१.८	२१.८	२१.८	२१.८	२१.८
	नगरपालिका/संपत्ति कर शोध्य	२१.८	२१.८	२१.८	२१.८	२१.८
	प्रिवेटकर शोध्य	२१.८	२१.८	२१.८	२१.८	२१.८
	कोई अन्य शोध्य	२१.८	२१.८	२१.८	२१.८	२१.८
(iii)	KAMLA SINGH संस्कार शोध्य BUXAR ★ Reg. No. A.I.L. 211728100 ★ J. RAINA	२१.८	२१.८	२१.८	२१.८	२१.८



	का कुल योग	१०.५	१०.६	१०.७	१०.८	१०.९
iv	क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हां तो अंतर्वलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।	२०.५	२०.६	२०.७	२०.८	२०.९

(9) वृत्ति या उपजीविका के बौरे :

(क) स्वयं ..... **२०.५**  
 (ख) पति या पत्नी ..... **२०.६**

(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिए अनुसार है :-

**विद्यार्थी का विद्यालय परीक्षा नं. ३००४५०५ १५ अक्टूबर २००२ श्री  
 विद्यार्थी का साम्पर्क परीक्षा संख्या : ८४८८५५८८५५  
 विद्यार्थी का वर्ष ३००४५०५ विद्यालय**

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के बौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया था, का बौरा दे)

### भाग-ख


(11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गए बौरे का उद्घारण

1	अभ्यर्थी का नाम	श्री/ श्रीमती/ कुमार पटेल इमान फ़िरोज
2	डाक का पता	ग्राम- गोराईपुर, पो. फिरिमा, भाजा मुझार, जिला- झज्जर
3	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	२०५ मुजाह गोराईपुर जिला झज्जर मृत्यु दिन १९६१
4	उस राजनीतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा स्वतंत्र लिखें)	कार्यकाल- दानव गोराईपुर
5	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं।  (ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) संज्ञान किया है (ऊपर मद (i) उल्लिखित मामलों से भिन्न)	२१८५  २१८५
6	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धोष ठहराया गया एक KAVIL SINGH द्वारा उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है (योग्य अधिकारी अधिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा ८ की उपधारा १)	२१८५
7	(1) उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाएँ	



7		का स्थायी लेखा सं०	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	कुल दर्शित आय
	(क) अभ्यर्थी	21-4	21-4	21-4
	(ख) पति या पत्नी	21-4	21-4	21-4
	(ग) आश्रित	21-4	21-4	21-4

8	आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रूपए में)	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
क	जंगम आस्तियां (कुल मूल्य)	21,000/- 16%	73,020/- 62 लाखांगा	21-4	21-4	21-4	21-4
ख	स्थावर आस्तियां	18,50,000/- 16%	21-4	21-4	21-4	21-4	21-4
I	स्वअर्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	21-4	21-4	21-4	21-4	21-4	21-4
II	क्रय के पश्चात स्थावर संपत्ति की विकास/संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	21-4	21-4	21-4	21-4	21-4	21-4
III	निम्नलिखित की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	21-4	21-4	21-4	21-4	21-4	21-4
	(क) स्वअर्जित आस्तियाँ (कुल मूल्य)	21-4	21-4	21-4	21-4	21-4	21-4
	(ख) विरासती आस्तियाँ (कुल मूल्य)	18,50,000/- 16%	21-4	21-4	21-4	21-4	21-4
9	संक्षिप्त सचिवालय (कुल) KAVINDRA SINGH DUXAR 110★ संस्कारित संस्थाओं और अन्य	21-4	21-4	21-4	21-4	21-4	21-4
	Govt. Of Bihar	21-4	21-4	21-4	21-4	21-4	21-4



	से ऋण (कुल)					
10.	ऐसे दायित्व जो विवादाधीन हैं	₹1.५	₹१.५	₹२.५	₹१.५	₹२.५
(i)	सरकारी शेष्य (कुल)	₹१.५	₹१.५	₹२.५	₹२.५	₹२.५
(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	₹१.५	₹१.५	₹१.५	₹१.५	₹१.५

11. उच्चतम शैक्षिक अर्हता :

विद्यालय परीक्षा नियम वर्ष 2002-03  
कालीन छाइ छात्र विद्यालय के लिए बहुत खूबी है।  
उत्तीर्णी प्रमाण की दृष्टि

(प्रमाण पत्र / डिप्लोमा / डिग्री के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय / विश्वविद्यालय / शिक्षा, विद्यालय / महाविद्यालय / विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरे दें।)

### सत्यापन

मैं, ऊपर उल्लिखित अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय-वरतु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्त्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि :-

(क) मेरे विरुद्ध ऊपर भाग के और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामले से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है।

(ख) मेरी पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास ऊपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।


आज तारीख ..... को सत्यापित किया गया।

प्रदीप कुमार प्रसाद  
अभिसाक्षी

I identify Badeep Kumar  
Prasad who has signed in  
my presence.

R. Chay

26/3/14



- टिप्पणी— 1. शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3:00 बजे अपराह्न तक फाइल किया जाना चाहिए।
- टिप्पणी— 2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिशनर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।
- टिप्पणी— 3. सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़े, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थित “शून्य” या “लागू नहीं होता” उल्लिखित किया जाना चाहिए।
- टिप्पणी— 4. शपथपत्र टंकित या सुपाठ्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।
- टिप्पणी— 5. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2013 को WP(C) संख्या 121-2008 में रिसर्जेंस इंडिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य, के मामाले में अभ्यर्थियों द्वारा अपूर्ण शपथ-पत्र दाखिल किये जाने के संबंध में दिए गये न्याय निर्णय के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र के सभी स्तंभों को भरा जाना है। कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाते समय निर्वाची पदाधिकारी द्वारा यह जाँच कर लिया जाना है कि नाम निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ पत्र के सभी स्तंभ भर लिए गये हैं, अगर ऐसा नहीं किया गया है तो निर्वाची पदाधिकारी अभ्यर्थी को खाली स्तंभों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु स्मार देंगे। माननीय न्यायालय का गाय निर्णय है कि अगर किसी मद में उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई जानकारी नहीं है तो ‘शून्य’ या ‘लागू नहीं’ या ‘ज्ञात नहीं’ जो उपयुक्त हो, ऐसे स्तंभ में दर्ज किये जायेंगे। उनके द्वारा कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जाना है। यदि अभ्यर्थी स्मार दिये जाने के बाद भी स्तंभ को भरे जाने में असफल होता है तो नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा के समय नाम निर्देशन पत्र निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अस्वीकृत दिये जायेंगे।
- टिप्पणी— 6. शपथ पत्र के पारा 3 में जानकारी निम्नलिखित रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।
- “मेरा दूरभाष सम्पर्क संख्या/संख्यायें हैं/हैं 9572597837
- मेरा ई-मेल आई० डी० (अगर कोई हो) है १५०५
- एवं मेरा सोशल मीडिया एकाउंट्स (अगर कोई हो) है २२०५
- टिप्पणी— 7. शपथ पत्र के पारा 8 में वित्तीय संस्थानों के प्रति दायित्वों में विदेशी बैंकों/संस्थाओं में जमा/निवेश सहित सूचना दें।